भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 5318
गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

डिजी यात्रा सुविधा

5318. श्री एम. के. राघवन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आधार और अन्य आधिकारिक पहचान दस्तावेजों में दर्ज एकल-अक्षर वाले उपनामों/आद्याक्षरों के बेमेल होने के कारण बड़ी संख्या में यात्री डिजी यात्रा सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जबकि थर्ड पार्टी वेबसाइटों के माध्यम से उड़ान टिकट बुकिंग के दौरान विस्तारित नाम की आवश्यकता होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का भविष्य में ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए आधिकारिक पहचान और उड़ान टिकट बुकिंग प्लेटफार्मों के बीच नाम प्रारूपों को मानकीकृत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिजी यात्रा के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के प्रबंधन हेतु किसी थर्ड पार्टी इकाई को शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डिजी यात्रा पहल के तहत यात्री डेटा की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार घरेलू यात्रा में डिजी यात्रा सुविधा के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट को शामिल करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): आधार-आधारित डिजी यात्रा पहचान परिचय-पत्र और हवाई टिकट की बुकिंग के दौरान दिए गए नाम में मेल न होने के कारण डिजी यात्रा सुविधा का उपयोग करने में असमर्थता के संबंध में कुछ शिकायतें सामने आई हैं। ऐसी विसंगतियों को रोकने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिनांक 18.04.2022 को वैमानिकी सूचना परिपत्र संख्या 09/2022 जारी किया है, जो यह प्रावधान करता है कि यात्री द्वारा किसी "भारत सरकार पहचान", जिन्हें डिजिटल रूप से मान्य किया जाना संभव हो, के साथ डिजी यात्रा परिचय-पत्र बनाए जा सकते हैं। इनमें आधार, पासपोर्ट और ई-पासपोर्ट शामिल हैं। वर्तमान में, डिजी यात्रा केवल 'आधार' वाले यात्रियों का समर्थन करती है।

डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (डीवाईसीई) को डिजाइन/डिफॉल्ट रूप से गोपनीयता के मूल सिद्धांतों पर बनाया गया है और इसमें यात्री की व्यक्तिगत पहचानयोग्य जानकारी (पीआईआई) डेटा का कोई केंद्रीय भंडारण नहीं होता। इसके फलस्वरूप डेटा हानि, चोरी और लीकेज के मुद्दे कम हो जाते हैं। इसलिए डिजी यात्रा के माध्यम से कोई डेटा संग्रहित नहीं किया जाता है। संपूर्ण यात्री डेटा एन्क्रिप्टेड है और यात्री के स्मार्टफोन वॉलेट में संग्रहित है और केवल मूल हवाईअड्डे, जहाँ यात्री आईडी को मान्य करने की आवश्यकता होती है, के साथ सीमित समय अवधि के लिए साझा किया जाता है। उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर डेटा को सिस्टम से हटा दिया जाता है।

*****